बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अधयक्ष,
★ सुरेश कुमार शर्मा
मो0 9470003023 /9431479774

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो0 9431091417

सत्यमेव जयते

उपाधयक्ष :– ★ सआदत हसन मिन्टू
★ राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – ★ राजयनन्द वार्डियार
★ अनिल कुमार

कोषाधयक्षः – ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः – ★ विनोद आनन्द

पत्रांक :......69...... दिनांक ......6/7/15......

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार।

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा दायर समादेश/अवमाननावाद के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक भवदीय से हुई विमर्श के आलोक में सरकार के प्रावधान का सही व्याख्या नहीं होने एवं समाधान नहीं किये जाने के कारण बिहार प्रशासनिक सेवा संघ को माननीय उच्च न्यायालय में समादेशवाद/अवमाननावाद दायर करना पड़ा है जिसकी विवरणी इस प्रकार है :–

<u>बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा दायर CWJC/MJC की संक्षिप्त विवरणी</u> :–

क्रम	विषय	सरकार का प्रावधान	CWJC/MJC सं0
1	पुराने वेतनमान के विभिन्न प्रक्रम में वेतन प्राप्त कर रहे बि0प्र0से0 के मूल कोटि के पदाधिकारियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नए वेतन बैंड पी0बी0–3 मं एक ही स्तर 15600/– (न्यूनतम बैंड वेतन) पर वेतन निर्धारित कर Bunch कर दिए जाने के संबंध में।	वित्त विभाग के परिपत्र–630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका–7 (A) (ii) में विहित है कि पुराने वेतनमान के दो से अधिक वेतनप्रक्रम का नए वेतन बैंड में एक स्तर पर गुच्छन (Bunching) होने की स्थिति में वेतन का निर्धारण किस तरह किया जाए ताकि दो से अधिक वेतन प्रक्रम एक साथ गुच्छित (Bunched) न हो।	CWJCNo-21681/2013
2	पी0बी0–3, ग्रेड पे0–5400 से पी0बी0–2 ग्रेड पे0–5400 में Notional पे–बैंड के नामान्तरण को प्रथम MACP परिभाषित करने के संबंध में।	1. बि0प्र0से0 के मूल कोटि के पदाधिकारी को पी0बी0–2 एवं ग्रेड पे0–5400 तथा सम्पुष्टि एवं चार वर्ष की सेवा के बाद पी0बी0–3 ग्रेड पे0–5400 छठा वेतन पुनरीक्षण में अनुमान्य किया गया है। 2. योगदान के समय मूल वेतन–14880/– होता है। चार वर्ष की सेवा एवं सम्पुष्टि के उपरान्त वेतन पी0बी0–2 में ही बैड वेतन 17440/– हो जाता है जो पी0बी0–3 के न्यूनतम वेतनमान 15600/– से अधिक है। 3. अतः पी0बी0–3 में नामान्तर केवल Notional होता है कोई वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त होता है।	CWJC No-24341/2013

क्रमशः

क्रम	विषय	सरकार का प्रावधान	CWJC/MJC सं0
3	40 (1997 योगदान वर्ष), 41 (1999 योगदान वर्ष) एवं 42 (2000 योगदान वर्ष) बैच के बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों को 01.01.2009 एवं उसके बाद सेवा में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि से ग्रेड पे0–6600 में पहला वित्तीय उन्नयन स्वीकृत नहीं किए जाने के संबंध में।	01.01.2009 को या उसके बाद एक वेतनमान में 10 वर्ष तक कार्यरत कर्मी को अगले ग्रेड पे0 में पहला वित्तीय उन्नयन दिया जाना है।	MJC of CWJC-888/14
4	छठा वेतन पुनरीक्षण लागू होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्टि के समय सेवा सम्पुष्टि आदेश की तिथि तक की Notional वेतनवृद्धि नहीं दिए जाने के संबंध में एवं Departmaental Examination Rules- Part- I&II (1961) के Rule -24 के उल्लंघन के संबंध में	Rule 24- Regulation of .... "Provided further that if passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed, the conditions mentioned above, to draw pay at the stage in the time-scale to which he would have been no delay in passing of the departmental examination or in his confirmation, or in the submission of records of cases.	CWJC No- 19165/14
5	विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव के समकक्ष पद पर सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को विशेष वेतन नहीं दिए जाने के संबंध में।	1. सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों/निदेशालयों में विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव के समकक्ष पदों पर विशेष वेतन अनुमान्य है। 2. परन्तु विशेष कार्य पदाधिकारियों/समकक्ष पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों को वेतन पुर्जा में विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है। 3. अन्य पदों पर भी जहाँ पदनाम में उप सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव से भिन्न समक्षकीय पदनाम यथा सहायक निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक आदि से पदस्थापन होता है, विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है।	CWJC-2259/14

भवदीय से संघ अनुरोध करता है कि सरकार के बनाये गये प्रावधान को सही–सही लागू करने की दिशा में न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

6/3/15

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– सचिव वित्त (व्यय) को भवदीय से हुई विमर्श के आलोक में न्योयोचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

6/3/15

(सुशील कुमार)
महासचिव